बैंक बोर्ड ब्यूरो

20 अक्तूबर, 2016

बैंक बोर्ड ब्यूरो का कार्य

1. सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में निदेशक मंडल (पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) के चयन एवं नियुक्ति हेतु उत्तरदायी होगा;

2. उपर्युक्त स्तरों के निदेशक मंडल की नियुक्ति, पुष्टि अथवा उनके कार्यकाल का विस्तार करने और उनकी सेवा समाप्त करने संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना;

3. प्रत्येक पीएसबी तथा एफआई के लिए बोर्ड स्तर पर वांछित ढांचा और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में सरकार को सलाह देना;

4. कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों सहित उपयुक्त एचआर प्रक्रियाओं के द्वारा भविष्य में उत्पन्न होने वाली संकटपूर्ण स्थितियों के लिए सुदृढ़ नेतृत्व परिवर्तन योजना विकसित करने में बैंकों की सहायता करना;

5. पीएसबी/एफआई तथा इसके अधिकारियों के कार्यनिष्पादन से संबंधित विवरण वाला डेटा बैंक तैयार करना;

6. पीएसबी/एफआई में प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तथा आचार नीति तैयार करना एवं उन्हें लागू करने के संबंध में सरकार को सलाह देना;

7. पीएसबी/एफआई में प्रबंधन कार्मिकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में सरकार को सलाह देना;

8. बैंकों को कारोबार संबंधी कार्यनीतियों तथा पूंजी जुटाने की योजना आदि के संबंध में सहायता करना।